

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-2555/2013)/अलेसे-III/502

दिनांक :- 22.04.2021

कार्यालय आदेश

श्री सत्यनारायण मीना, क0 लेखाकार (लिंग नं. 12575) कार्यालय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्र.सं. 1, जयपुर जिनकी जन्म तिथि 20.07.1992 है, के आवेदन पत्र को उनके विभाग के पत्रांक 119 दिनांक 26.2.2021 द्वारा अपना नाम सत्य नारायण मीना से परिवर्तित कर सत्यम चांदा किये जाने का अनुरोध किया है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8(क) के निर्णय 5 के अनुसार राजस्थान राजपत्र (गजट) के साधारण अंक 44 भाग संख्या 7 के पृष्ठ संख्या 3190 दिनांक 28.01.2021 में प्रकाशित बंधपत्र एवं समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के दिनांक 25.02.2021 के अंक में प्रकाशित सूचना के आधार पर इनका परिवर्तित नाम सत्यम चांदा विभागीय रिकार्ड में दर्ज करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-2555/2013)/अलेसे-III/502

दिनांक :- 22.04.2021

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्र. सं. 1, जयपुर।
- 2 कोषाधिकारी (शहर), जयपुर।
- 3 अति० निदेशक (डी.पी.सी. अनुभाग/ ए.सी.आर. अनुभाग)।
- 4 उप निदेशक/ए.सी.पी.(कम्प्यूटर अनुभाग)।
- 5 निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- 6 श्री सत्यम चांदा (पूर्व नाम श्री सत्यनारायण मीना), कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्र. सं. 1, जयपुर।
- 7 पदस्थापन सीट/ निजी /रक्षित पत्रावली।



(लेखराम मीणा)

उप निदेशक (कार्मिक-III)